2025:CGHC:48011

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील प्रतिकर क्रमांक 426/2018

1 – श्रीमती माला कौशिक, पति: स्व. कन्हैया कौशिक, आयु लगभग 27 वर्ष, जाति: सूर्यवंशी, निवासी: ग्राम रानीगाँव, थाना रतनपुर, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (दावाकर्ता), जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

... अपीलार्थी

विरुद्ध

1 – परमजीत सिंह, पिता: सुजीत सिंह, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी: कोसनाका नेहरू नगर भिलाई, थाना सुपेला, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ (दुर्घटना कारित करने वाला वाहन ट्रक क्रमांक C.G.07/C/5018 का चालक), जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़।

2– अशोक सेठ, पिता: टी.आर. सेठ, निवासी: दुकान क्रमांक 55, आर.एस.एस. मार्केट पावर हाउस भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ (दुर्घटना कारित करने वाला वाहन ट्रक क्रमांक C.G.07/C/5018 का स्वामी), जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3 – शाखा प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा शाखा कार्यालय टाह कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल व्यापार विहार रोड बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (दुर्घटना कारित करने वाला वाहन ट्रक क्रमांक C.G.07/C/5018 का बीमाकर्ता), जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

4 – श्रीमती उत्तरा बाई, पति: जवाहर प्रसाद, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी: ग्राम रानीगाँव, थाना रतनपुर, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (बहन), जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

5 – जवाहर प्रसाद, पिता: स्व. रामाधार, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी: ग्राम रानीगाँव, थाना रतनपुर, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (जीजा), जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

... प्रत्यर्थीगण

(वाद–शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

अपीलार्थी की ओर से: सुश्री शालिनी जांगड़े, अधिवक्ता

(श्री ए. एल. सिंगरौल, अधिवक्ता की ओर से संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए)।

प्रत्यर्थीगण की ओर से: सुश्री पूजा यादव, अधिवक्ता

(श्री शिवेंदु पांड्या, अधिवक्ता की ओर से संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए)।

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद

बोर्ड पर निर्णय

18.09.2025

1. यह अपील मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अधीन, द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मनेंद्रगढ़, जिला– कोरिया (छ.ग.) द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 15/2015 में दिनांक 23.01.2018 को पारित अधिनिर्णय से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2. इस अपील का संक्षिप्त कथन यह है कि अपीलार्थीगण, जो मृतक कन्हैया कौशिक की अभागी विधवा और परिवार के सदस्य हैं, ने मोटर यान अधिनियम की धारा 163(क) के अधीन एक दावा याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें कन्हैया कौशिक की एक घातक सड़क दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के लिए उचित प्रतिकर की मांग की गई थी। अपीलार्थीगण ने अभिवचन किया कि दिनांक 10.06.2014 को लगभग रात्रि 10:45 बजे, मृतक अपने काम के सिलसिले में मोटरसाइकिल से परसदा से जरहाभाटा जा रहा था। जब वह हाईटेक बस स्टैंड, बिलासपुर के पास स्वदेशी फूड हाउस के सामने से गुजर रहा था, तब उसे ट्रक क्रमांक CG–07/C/5018 ने टक्कर मार दी, जिसे प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा तेज गति एवं उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था। उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप, मृतक कन्हैया कौशिक व एक अन्य व्यक्ति बुद्धि सिंह को गंभीर चोटें आईं और दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। अपीलार्थीगण का दावा है कि दुर्घटना पूरी तरह से प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की लापरवाही और उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने के कारण हुई। तदनुसार, उन्होंने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के प्रत्यर्थी क्रमांक 1 (चालक) और प्रत्यर्थी क्रमांक 2 (स्वामी) को दुर्घटना के लिए संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक उत्तरदायी ठहराया। प्रत्यर्थी क्रमांक 3, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, उक्त वाहन का बीमाकर्ता होने के नाते, उसे भी पक्षकार बनाया गया और प्रतिकर का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक उत्तरदायी ठहराया गया। दुर्घटना की सूचना सिरगिट्टी पुलिस थाना, जिला बिलासपुर में दी गई थी, जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई और विवेचना के उपरांत, ट्रक चालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 और 304क के अधीन दाण्डिक अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 143/2014 के रूप में दर्ज किया गया, जो सक्षम दाण्डिक न्यायालय के समक्ष लंबित है। अपीलार्थीगण ने यह भी अभिवचन किया कि मृतक कन्हैया कौशिक की मृत्यु के समय आयु लगभग 32 वर्ष थी और वह सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत था, जिसकी वार्षिक आय 40,000/– रुपये थी। विभिन्न मदों के अंतर्गत, अपीलार्थीगण ने कुल 20,50,000/– रुपये के प्रतिकर का दावा किया और प्रार्थना की कि तीनों प्रत्यर्थीगण चालक, स्वामी और बीमाकर्ता को इसका संदाय करने हेतु संयुक्त और पृथक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाए।

3. इसके जवाब में, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 व 2, अर्थात् दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक के चालक और स्वामी ने एक लिखित कथन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने उपेक्षा के आरोपों से इनकार किया और यह दावा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

किया कि दुर्घटना स्वयं मृतक की उपेक्षा के कारण हुई थी। उन्होंने आगे तर्क किया कि दावे की राशि बढ़ा–चढ़ाकर बताई गई है। यद्यपि, उन्होंने यह स्वीकार किया कि संबंधित वाहन दुर्घटना की तिथि को विधिवत बीमित था, और इसलिए, यदि कोई देयता बनती है, तो वह बीमा कंपनी पर होगी। प्रत्यर्थी क्रमांक 3, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने भी अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया। उन्होनें यह अभिवचन किया कि वाहन को बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन कर चलाया जा रहा था, और दावे की राशि अत्यधिक एवं अनुचित थी। यद्यपि, बीमा कंपनी अपने बचाव की पुष्टि करने या पॉलिसी की किसी भी शर्त के उल्लंघन को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रही। बीमाकर्ता की ओर से किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं किया गया।

4. अपने प्रकरण को साबित करने हेतु, दावाकर्तागण ने मृतक की विधवा श्रीमती माला कौशिक (आ.सा.–1) और घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नरेंद्र सिंह राजपूत (आ.सा.–2) का परीक्षण कराया। दोनों साक्षियों ने दावाकर्तागण के प्रकरण का समर्थन किया और यह पुष्टि की कि दुर्घटना ट्रक चालक द्वारा वाहन को तेज गति एवं उपेक्षापूर्वक चलाने के कारण हुई थी। दावाकर्तागण ने पुनः दोहराया कि मृत्यु के समय मृतक की आयु 32 वर्ष थी और वह सुरक्षा गार्ड के रूप में ₹40,000/– वार्षिक कमा रहा था। अपीलार्थीगण का यह शिकायत है कि यद्यपि विद्वान दावा अधिकरण ने दुर्घटना की घटना को स्वीकार किया और दावा याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया, किंतु अधिनिर्णित प्रतिकर की राशि अत्यंत अपर्याप्त है और परिवार द्वारा वहन की गई हानि को प्रतिबिंबित नहीं करती है। अपीलार्थी, इस अल्प अधिनिर्णय से व्यथित होकर, प्रतिकर को ₹20,50,000/– तक बढ़ाने और ब्याज की मांग करते हुए वर्तमान अपील प्रस्तुत की है। इसका आधार यह है कि अधिकरण सुस्थापित विधिक सिद्धांतों के अनुसार आय, भविष्य की संभावनाओं और क्षति के अन्य सुसंगत मदों की उचित विवेचना करने में असफल रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि विद्वान दावा अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित अधिनिर्णय, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के विपरीत है। अधिकरण ने दावाकर्ता के साक्षियों के कथनों पर अविश्वास करके एक गंभीर विधिक त्रुटि की है, जिनका विधिवत परीक्षण किया गया था और जिन्होंने दावा याचिका के समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य दिया था । उनके कथन अभिवचनों के अनुरूप थे और प्रति–परीक्षण के दौरान उन्हें प्रभावी ढंग से खंडित नहीं किया जा सका था। इसके अतिरिक्त, विद्वान दावा अधिकरण ने मृतक की आय का आकलन मात्र ₹3,300/– प्रति माह करके त्रुटि की है, जबकि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी मानदंडों और विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को विचार में रखते हुए इसे ₹40,000/– प्रति वर्ष माना जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी व अन्य एआईआर 2017 एससी 5157** में पारित आधिकारिक निर्णय के आलोक में, आय पर 40% की भविष्य की संभावनाओं में वृद्धि लागू की जानी चाहिए थी। अधिकरण के निष्कर्ष और भी त्रुटिपूर्ण हैं क्योंकि वे अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों के प्रतिकूल हैं और भौतिक तथ्यों पर उनके उचित विधिक परिप्रेक्ष्य में विचार करने में

असफल रहे हैं। इस प्रकार,अधिकरण द्वारा किया गया मूल्यांकन विकृत है और इसमें उचित वृद्धि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 6% प्रति वर्ष की दर से दिया गया ब्याज अन्यायपूर्ण और अपर्याप्त है, क्योंकि अपीलार्थी 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का हकदार है, जो उचित है और स्थापित न्यायिक मानदंडों के अनुरूप है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत, यह प्रार्थना की जाती है कि यह न्यायालय न्याय और साम्या के हित में, दावा प्रकरण क्रमांक 526/2014 में विद्वान दावा अधिकरण द्वारा पूर्व अधिनिर्णित राशि के अतिरिक्त ₹15,91,700/– की वृद्धि कर आक्षेपित अधिनिर्णय को संशोधित करने की कृपा करे।

6. दूसरी ओर, बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि मोटर यान अधिनियम की धारा 163–क की नई द्वितीय अनुसूची के अनुसार, मृत्यु के प्रकरण में ₹5,00,000/– की राशि का प्रतिकर दिया जा सकता है। अपने तर्कों की पुष्टि हेतु उन्होंने **द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध उर्मिला हलदर 2025 एसीजे 244** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का अवलंब लिया है।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और दावा प्रकरण के अभिलेख का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. सुलभ संदर्भ हेतु मोटर यान अधिनियम की धारा 163–क की नई द्वितीय अनुसूची नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:—

> द्वितीय अनुसूची (धारा 163–क) पर–व्यक्ति घातक दुर्घटना/क्षति के मामलों में प्रतिकर के दावों के लिए
>
> (क) घातक दुर्घटनाएं: मृत्यु की स्थिति में देय प्रतिकर पाँच लाख रुपये होगा।
>
> (ख) स्थायी अशक्तता के परिणामस्वरूप होने वाली दुर्घटनाएं: देय प्रतिकर की गणना निम्नानुसार होगी= [5,00,000 रुपये अशक्तता का प्रतिशत, जैसा कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) की अनुसूची–। के अनुसार है] :
>
> परंतु यह कि किसी भी प्रकार की स्थायी अशक्तता के मामले में न्यूनतम प्रतिकर पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा।
>
> (ग) साधारण क्षति के परिणामस्वरूप होने वाली दुर्घटनाएं: पच्चीस हजार रुपये का एक नियत प्रतिकर देय होगा।
>
> 2. जनवरी, 2019 के प्रथम दिवस से, कण्डिका (1) के खंड (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट प्रतिकर की राशि में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
>
> 3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।"

9. **उर्मिला हलदर** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसी प्रकार के विवाद्यक पर विचार किया है और निम्नानुसार अवधारित किया है:—

> "4. इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ संक्षिप्त बिंदु यह है कि क्या मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163–क में किया गया संशोधन, जो 22 मई, 2018 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्रभावी हुआ, उस दुर्घटना पर लागू होगा जो उक्त तिथि से पूर्व घटित हुई थी।
>
> 5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि संशोधित विधि भविष्यलक्षी रूप से प्रभावी होगा, जो व्याख्या का एक सामान्य नियम है, और चूंकि संशोधन में स्वयं कोई भूतलक्षी प्रभाव इंगित नहीं किया गया है, इसलिए इसका अर्थान्वयन प्रत्येक शब्द को प्रभावी बनाते हुए सामंजस्यपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।
>
> 6. अधिसूचना की अंतिम पंक्ति का अवलंब लिया गया, जो यह दर्शाती है कि उक्त संशोधन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि, अर्थात् 22 मई, 2018 से प्रभावी होगा। यह तर्क दिया गया कि चूंकि दुर्घटना 11 दिसंबर, 2004 को हुई थी, इसलिए ऐसे संशोधन का लाभ प्रत्यर्थी को नहीं दिया जा सकता। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का संदर्भ दिया और उनका अवलंब लिया: पद्मा श्रीनिवासन विरुद्ध प्रीमियर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [(1982) 1 एससीसी 613]; श्याम सुंदर व अन्य विरुद्ध राम कुमार व एक अन्य [(2001) 8 एससीसी 24]; नसीरुद्दीन व अन्य विरुद्ध सीता राम अग्रवाल [(2003) 2 एससीसी 577] तथा पांची देवी विरुद्ध राजस्थान राज्य व अन्य [(2009) 2 एससीसी 589]।
>
> 7. आगे यह तर्क दिया गया कि वर्तमान प्रकरण उस पॉलिसी के अंतर्गत आता है जिसके अधीन संदाय किया जाना है, और यह उसी तिथि को निर्धारित हो गया था जिस दिन यह अनुबंध हुआ था, और पश्चातवर्ती घटनाक्रम पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को परिवर्तित नहीं करेगा। इस प्रकार, तर्क यह था कि अपीलार्थी 22 मई, 2018 को संशोधन आने से पहले अधिनियम के अधीन संदाय करने के लिए बाध्य राशि से अधिक संदाय करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
>
> 8. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि उच्च न्यायालय ने उचित दृष्टिकोण अपनाया है कि यह केवल एक प्रक्रियात्मक संशोधन है जिसे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भूतलक्षी प्रभाव दिया जाना चाहिए और यह कोई ऐसा सारभूत बदलाव नहीं है जो विवाद्यक के गुण–दोष को प्रभावित करे।

9. प्रकरण पर विचार करने के उपरांत, हमें आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिए गए इस न्यायालय के निर्णयों के संबंध में, उनका अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि वे वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न हैं और इस प्रकार, उन प्रकरणों का विधिक सिद्धांत वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होगा।

10. उच्च न्यायालय का आदेश विस्तृत रूप से विवेचित है और हम अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं। यद्यपि, हम यह जोड़ सकते हैं कि एक लाभकारी विधान में किसी विशिष्ट रोक की अनुपस्थिति में, अनिवार्य रूप से दावाकर्ता को लाभ पहुँचाया जाना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी–बीमा कंपनी के दायित्व में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। केवल गणना पद्धति और प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट किया गया है, जिसे उच्च न्यायालय ने उचित रुप से विचार किया है और तदनुसार, दावे को वृद्धि कर ₹5,00,000/– (रुपये पाँच लाख) कर दिया गया है। चूंकि प्रतिकर की 50% राशि पर इस न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी, अतः उक्त राशि का संदाय आठ सप्ताह के भीतर आक्षेपित निर्णय के अनुसार प्रत्यर्थी को किया जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. वर्तमान प्रकरण में, अधिकरण ने ₹4,58,300/– अधिनिर्णित किए थे। अतः, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में, दावाकर्तागण ₹41,700/– की अतिरिक्त राशि के हकदार हैं, जिससे कुल प्रतिकर ₹5,00,000/– हो जाता है, जो कि अधिनियम की धारा 163–क के अधीन ग्राह्य अधिकतम सीमा है। प्रतिकर में और अधिक वृद्धि के लिए कोई ठोस आधार नहीं दिखाया गया है, क्योंकि शासी विधि के अधीन ₹5 लाख की सीमा पूर्ण है, चाहे वास्तविक आय, आश्रितता या अन्य सुसंगत कारक कुछ भी हों। आय के कम मूल्यांकन और कटौतियों के संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा उठाए गए तर्क इस विधिक सीमा के दृष्टिगत महत्वहीन हो जाते हैं।

11. तदनुसार, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। दावाकर्तागण, अधिकरण द्वारा पूर्व में अधिनिर्णित प्रतिकर के अतिरिक्त, ₹41,700/– की संवर्धित राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। देय कुल प्रतिकर ₹5,00,000/– से अधिक नहीं होगा।

12. अधिनिर्णय की शेष शर्तें, जिनमें ब्याज की दर और संवितरण की पद्धति शामिल है, जैसा कि विद्वान अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया था, अपरिवर्तित रहेंगी।

सही/–

(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur